नगर विकास योजना का मूल्यांकन

चंडीगढ़

अगस्त 2006

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

कोर 4 बी, भारत पर्यावास केन्द्र

लोधी रोड, नई दिल्ली 110003

किसी प्रकार की शंका होने पर, कृपया श्री संदीप ठाकुर से ई मेल पर सम्पर्क करें (email:sthakur@niua.org)

नगर विकास योजना का मूल्यांकन : चंडीगढ़

चंडीगढ़ की नगर विकास योजना (सी. डी. पी.) चंडीगढ़ प्रशासन के वित्त सचिव द्वारा पेश की गई है। इस विकास योजना में नगर मूल्यांकन और विश्लेषण, भावी परिदृश्य और संकल्पना (विज़न) तथा नगर निवेश योजना जैसे मुद्दों के बारे में स्पष्ट विचार दिये गये हैं। लेकिन सी. डी. पी.के विन्यास और विषय वस्तु के बारे में कुछ गंभीर प्रश्न हैं।

सी. डी. पी. का मूल्यांकन 5 खंडों में है अर्थात् - सी डी पी का विन्यास, नगर मूल्यांकन, भावी परिदृश्य और संकल्पना, नगर विकास नीतियां और नगर निवेश योजना।

1.नगर विकास योजना का विन्यास

राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान (जे एन एन यू आर एम) का टूल किट-2 (नगर विकास योजना का निरूपण) नगर शासन इकाइयों को सी. डी. पी. तैयार करने में मदद के लिये डिज़ाइन किया गया है। इस टूल किट में सी. डी. पी. के दायरे की रूपरेखा दी गई है, जरूरी आंकड़ों का संकेत दिया गया है तथा विश्लेषण की पद्धत्ति बताई गई है; जिसके साथ समस्याओं के यथार्थ मूल्यांकन तथा विकास के लिये माध्यम और दीर्घकालीन संकल्पना हेतु उपायों का भी उल्लेख किया गया है। चंडीगढ़ की नगर विकास योजना (सी. डी. पी.) का विन्यास इस टूल किट के दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं है। उदाहरण के लिये पहला अध्याय "परियोजना का सार", दूसरा अध्याय " चंडीगढ़ शहर की प्रायोजित जनसंख्या वृद्धि", अध्याय-3 "बुनियादी सेवाओं जैसे - जल आपूर्ति, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी और अन्तर्वर्ती सड़कों बाबत संकल्पना", अध्याय-4 " विद्यमान जल आपूर्ति तंत्र का विस्तार" तथा अध्याय-5 "सीवरेज सेक्टर के लिये अपेक्षित निवेश राशि" आदि के बारे में है।

नगर विकास योजना (सी. डी. पी.) का सृजन एक बहु-सोपानी कार्रवाई है, जिसमें - (i) विधमान स्थिति का विश्लेषण, जिसके अन्तर्गत जनांकिकी; आर्थिक, वित्तीय, आधार-संरचना, जमीनी स्थिति व पर्यावरण तथा संस्थाई पहलू शामिल हैं, (ii) शहर के भावी परिदृश्य और विज़न का विकास, (iii) शहर की वर्तमान स्थिति और भावी विकास की अभिलाषा के बीच अन्तर को पाटने के लिये कार्यनीति का सृजन तथा (iv) नगर निवेश योजना तथा वित्तीय कार्यनीति शामिल हैं। सी डी पी का पहला खंड नगर विकास की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करने तथा विद्यमान व्यवस्था में सेवा-प्रदायगी और प्रबंधन में आने वाली रूकावटों और बेहतर सेवा व्यवस्था के संभावित उपायों की समझ विकसित करने के बारे में है। दूसरा खंड, पहले स्तर के विश्लेषण के परिणामों तथा मुख्य हितबद्ध पक्षों और नगारिक समुदाय के साथ विचार-विमर्श के इस्तेमाल हेतु बनाया गया है, यह खंड भावी विकास का विज़न विकसित करने के लिये होता है। तीसरा खंड शहरी कायाकल्प अभियान (नुर्म) के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान हेतु विकल्पों और कार्यनीतियों का निर्धारण करने तथा इस योगदान के परिदृश्य की कार्यनीतियों का मूल्यांकन करने के लिये है। नगर निवेश योजना नामक अंतिम खंड समग्र निवेश योजना सुलभ कराने के लिये है, जो केवल

वित्तीय अनुमानों बाबत न होकर विज़न वित्त पोषण के वैकल्पिक संसाधनों को दर्शाने के साथ-साथ कार्यनीति और कार्यक्रमों को उजागर करने के लिये भी है।

2.नगर मूल्यांकन

2.1 नगर जनांकिकी

नगर विकास योजना (सी डी पी) शहर की जनांकिकी, आबादी वृद्धि दर और आबादी वृद्धि के स्वरूप को भलीभांति उजागर नहीं करती है। सी डी पी 2001 में चंडीगढ़ नगर निगम की जो आबादी बतायी गई है, वह वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार नगर निगम की आबादी से मेल नहीं खाती। सी डी पी द्वारा जनसंख्या प्रायोजन के लिये प्रयुक्त पद्धत्ति का कतई उल्लेख नहीं है तथा गत दशक में वार्षिक वृद्धि दर पर आधारित अगले 35 वर्षों के लिये किये गये जनसंख्या प्रायोजन आबादी अनुमान की सही पद्धति नहीं है। दशकीय वृद्धि दरों को वार्षिक वृद्धि दरों में सूचीबद्ध किया गया है (देखिये तालिका 1, पृष्ठ 133) 67% आबादी की वृद्धि जनसंख्या के बाहर से आवासन के कारण है, लेकिन इस आवासन के बुनियादी सेवाओं पर संभावित प्रभाव को सी डी पी में नहीं बताया गया है। जनसंख्या प्रायोजन तैयार करने की कार्रवाई संतोषजनक नहीं है तथा कोर-सेक्टरों में प्रायोजित मांग अनिवार्यतः आगामी वर्षों की आबादी पर निर्भर दर्शायी जानी चाहिये, अतः जनसंख्या प्रायोजन अधिक सावधानी से तैयार किये जाने चाहिये। सी डी पी द्वारा शहर के कोर क्षेत्र में सेवाओं के स्तर के प्रसंग में वर्तमान स्थिति का पर्याप्त विश्लेषण नहीं किया गया है। शहर के सीमांत क्षेत्रों में सेवाओं की व्याप्ति और उनके स्तर की स्थिति और जरूरतों का विस्तार से उल्लेख किये जाने की जरूरत है।

नगर विकास योजना (सी डी पी) में कुछ भ्रामक मुद्दों को भी स्पष्ट किये जाने की जरूरत है। उदाहरण के लिये तालिका 6 में पृष्ठ 134 पर लिखा है कि 37% कामगार प्राइमरी सेक्टर में हैं, वह साध्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि जनगणना परिभाषाओं के अनुसार किसी शहर की अपेक्षाओं के अनुसार, कम से कम 75% श्रमशक्ति गैर-कृषि पृष्ठभूमि से होनी चाहिये। फिर पृष्ठ 17 पर 'जल आवश्यकता' बाबत तालिका में सिंचाई की जरूरतों को भी शामिल कर लिया गया है। इनके बारे में स्पष्टीकरण आवश्यक है।

2.2 संस्थायी प्रबंध

नगर विकास योजना में चंडीगढ़ नगर निगम के कार्यात्मक दायरे का उल्लेख नहीं है, जिससे नगर निगम के दायित्वों की तसवीर उजागर होती। उससे 74वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची में विहित 18 कार्यों के बारे में भी पता चलता। इस स्तर पर यह जानना आवश्यक है कि 18 कार्यों में से कौन से कार्य नगर निगम द्वारा किए जा रहे हैं, तथा इन कार्यों के निष्पादन में अन्य कौन-कौन एजेंसियां सहयोजित हैं। तालिका 18 (पृष्ठ 139) में " संस्थायी दायित्व" तथा "परियोजना सार" (पृष्ठ 1) में कार्यरत विभिन्न एजेंसियों के बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है और उनके अधिव्यापन कार्यात्मक दायरे आदि का ही उल्लेख नहीं किया गया है।

इन विभिन्न एजेंसियों के संगठनात्मक ढांचे तथा समान संगठनों के कार्यकरण का भी सी. डी. पी. में उल्लेख नहीं है।

सी. डी. पी. में कहा गया है कि बुनियादी सेवा-सुविधाएं जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज़, जलनिकासी, सड़क आदि की व्यवस्था चंडीगढ़ प्रशासन तथा चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा सम्मिलित रूप से की जा रही है। लेकिन इन दोनों एजेंसियों के सही-सही कार्यकरण का सी. डी. पी. में उल्लेख नहीं है। समग्र जल आपूर्ति नगर निगम कार्य-दायरे में नहीं आती। अपितु यह राज्य सरकार के इंजीनियरिंग विभाग और चंडीगढ़ नगर निगम के अन्र्तगत आती है। इन हेतु नगर निगम क्षेत्र में नगर स्तर का जल आपूर्ति और सीवरेज़ बोर्ड है (तालिका 10, पृष्ठ 136) से जाहिर होता है कि विगत कई वर्षों से इस मद में घाटा चल रहा है। इसी प्रकार अन्य सेवाओं, जैसे अपजल के निस्तारण, बरसाती पानी की निकासी, आंतरिक सड़कों, पथ-प्रकाश तथा कचरा निपटान व्यवस्था आदि के बारे में नगर निगम की सही-सही कार्य-जिम्मेदारी भी सी. डी. पी. से जाहिर नहीं होती तथा पृष्ठ 17 और 139 पर दी गई सूचना भ्रामक है।

2.3 जमीनी आधार ढ़ांचा : जल आपूर्ति, जल निकासी व कचरा निपटान आदि

सी डी पी में जल आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी, कचरा निपटान आदि बुनियादी सेवाओं के दायरे और स्तर से संबंधित मुद्दों को भलीभांति नहीं दर्शाया गया है अर्थात् यह नहीं बताया गया है कि कितनी प्रतिशत आबादी और कितना प्रतिशत क्षेत्र इन सेवाओं में समाहित है। पृष्ठ 19 पर जल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति में इस सेवा बाबत मुद्दों, समस्याओं और बाधाओं के समाधान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। इसके अलावा, पृष्ठ 17 पर "जल की आवश्यकता" नामक तालिका में सिंचाई की जरूरतों को भी शामिल कर लिया गया है। इन्हें स्पष्ट किये जाने की जरूरत है।

इसी प्रकार, सीडीपी में सीवरेज़, जल निकासी और कचरा निपटान से संबंधित मुद्दों पर भी भलीभांति प्रकाश नहीं डाला गया है। इन सेवा-सेक्टरों के बारे में वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं है। सी डी पी में बताया जाना चाहिये था कि ये सेवाएं किस प्रकार प्रदान की जा रही हों इन सेक्टरों के बारे में निष्पादन प्रतिमान सी डी पी में दर्शाते हुए उन पर विचार दिये जाने चाहिये थे।

2.4 गरीबों के लिये शहरी बुनियादी सेवाएं

इस खंड में, स्लम क्षेत्रों में इन सेवाओं की उपलब्धता और स्तर के बारे में कोई खास ब्यौरे और अनुमान नहीं दिये गये हैं। स्लमवासियों की समस्याओं के समाधान हेतु वित्तीय योजना भी सी डी पी में नहीं दी गई है।

2.5 चंडीगढ़ नगर निगम की वित्त व्यवस्था

चंडीगढ़ नगर निगम, परम्परा से, अपने खातों के प्रसंग में 'नगद आधारित एकल प्रविष्टि प्रणाली' अपना रहा है तथा उसने 'एक्रुअल बेसड् एकाउंटिंग सिस्टम- नहीं अपनाया है। सी डी पी में नगर

निगम की वित्त व्यवस्था भी नहीं दी गई है, लेकिन तालिका 7 से 16 में चंडीगढ़ का वित्तीय प्रोफाइल दिया गया है, जिससे और भी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि पृष्ठ 134 पर तालिका 7 से 9 में वित्तीय प्रोफाइल की सूचना है। किन्तु उससे यह जाहिर नहीं है कि वह वित्तीय प्रोफाइल चंडीगढ़ प्रशासन बाबत है या नगर निगम बावत। आगे, इन तालिकाओं में काफी अधिक अधिशेष राशि दिखायी गई है। राजस्व आय में राज्यांतरण राशि (अनुदान राशि सहित) का हिस्सा 60% से अधिक है, लेकिन सी डी पी में इस बाबत ब्यौरे नहीं दिये गये हैं। नगर स्तर के जल आपूर्ति और सीवरेज़ बोर्ड की वित्तीय राशियों (देखिये तालिका 10, पृष्ठ 136) से जाहिर है कि गत कई वर्षों से घाटा चल रहा है। आय-व्यय के ब्यौरे भी नहीं दिये गये हैं। पृष्ठ 137 (तालिका 12) पर उल्लिखित सीधी वसूलियां भी कहीं नहीं दी गई हैं, साथ ही इन तालिकाओं में यह भी उल्लेख नहीं है कि ये सीधी उगाही/वसूली किस ने की? जल सेक्टर से संबंधित वित्तीय मुद्दों को समझने के लिए जल बोर्ड के आय-व्यय के ब्यौरे सी डी पी में दिये जाने चाहिये थे।

इसके अलावा, सी डी पी में नगर निगम का कर-आधार तथा गैर कर-आधार दिया जाना चाहिये था। साथ ही कर-स्त्रोतों व गैर-कर स्त्रोतों का दर-ढांचा भी दिया जाना चाहिये था। जल आपूर्ति और जल निकासी प्रभारों का दर-ढांचा भी दिया जाना चाहिये था। प्रत्येक कर और प्रभार के लिये मांग और वसूली अनुपात भी दिये जाने चाहिये थे।

3.संकल्पना (विज़न) व कार्यनीतियां :

संकल्पना और कार्यनीतियां विषयक अध्याय के पृष्ठ 11 से 16 पर " सुंदर शहर चंडीगढ़ के अन्दर जल आपूर्ति, बरसाती पानी की निकासी और आंतरिक सड़कें " शीर्षक सही तरह नहीं प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उसमें शहर के अन्दर इन सेवाओं का कोई विज़न नहीं बताया गया है। ऐसा कदाचित इसलिये है क्योंकि विभिन्न सेवाओं की वर्तमान स्थिति का सही से आकलन नहीं किया गया है अर्थात अन्य सेवा सेक्टरों के लिये भी विज़न नहीं पेश किये गये हैं। वर्तमान स्थिति को भावी लक्ष्यों से जोड़ने के ब्यौरे साफ साफ प्रस्तुत किये जाएं।

3.1 हितबद्ध पक्षों के साथ परामर्श :

शहरी कायाकल्प अभियान के टूलकिट-2 के अनुसार, सी डी पी तैयार करने में हितबद्ध पक्षों से विचार-विनिमय की आशा की जाती है। लेकिन सी डी पी में इस बारे में कोई चर्चा नहीं है। अत: हितबद्ध पक्षों के साथ विचार-विनिमय किया गया या नहीं और सी डी पी को अंतिम रूप देते समय लोगों की राय ली गई या नहीं; यह संदेह अपनी जगह कायम है। शहर के भावी विज़न को भागीदारी तरीके तथा हितबद्ध पक्षों के साथ परामर्श से तैयार किया जाना चाहिये था।

3.2 विकास की कार्यनीतियां :

चंडीगढ़ नगर निगम विकास योजना में कार्यनीतियों बाबत मुद्दों पर कोई चर्चा ही नहीं है। विकास कार्यनीतियां अपनाये बिना नगर निवेश योजना तैयार करना काफी मुश्किल होता है।

3.3 सेक्टर-वार धन व्यवस्था :

विभिन्न सेवाओं हेतु " अपेक्षित पूंजीनिवेश " के बारे में पृष्ठ 57 से 58, 63 से 65, 68 से 69 पर जो सूचना दी गई है उसमें उस सूचना के पीछे की नीति का उल्लेख नहीं है। अनेक सूचना-अंतराल भी पाए गये हैं। सी डी पी में अपेक्षित धन राशि और कार्यनीतियों के बारे में ब्यौरे दिये जाने चाहिये थे। सी डी पी में परियोजनाओं का प्राथमिकता निर्धारण अथवा सेवा सेक्टर के प्राथमिकताकरण का उल्लेख किया जाना चाहिये था।

निम्न तालिका में सेक्टर-वार धन नियोजन की जरूरत के ब्यौरे हैं और जल आपूर्ति, सीवरेज़ तथा बरसाती पानी की निकासी आदि पर मुख्य ध्यान दर्शाया गया है। किन्तु जल आपूर्ति बढ़ाने, सीवरेज़ और बरसाती पानी की निकासी हेतु विस्तृत नगर निवेश योजना, धटक-वार ब्यौरों के साथ नहीं दी गई है। इस खंड में इन सेक्टर-वार नियतनों के निर्धारण के बारे में पर्याप्त औचित्य और पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं है यानी यह नहीं बताया गया है कि वित्तीय जरूरतों के आकलन आदि में क्या मान्यताएं अपनायी गई हैं।

योजना में गैर-राजस्व पानी (यानी मुफ्त पानी) में कटौती करने तथा लागत और वसूली के बीच अंतर को पाटने के लिये कोई कार्यक्रम भी नहीं दिया गया है। नगर निगम के संसाधन बढ़ाने की नीतियों तथा सुधार एजेंडा के निगम स्तर पर प्रभाव को भी नहीं दर्शाया गया है।

चंडीगढ़ के लिये सेक्टर-वार अपेक्षित धन व्यवस्था (2006 से 2011 तक)

चंडीगढ़	**अपेक्षित राशि करोड़ रू0**	**कुल योग का %**
जल आपूर्ति	162.31	64.39
सीवरेज	46.38	18.40
बरसाती पानी की निकासी	27.00	10.71
सड़कें	1.62	0.64
कचरा निपटान	6.25	2.48
अन्य आधार सुविधायें	8.50	3.37
योग	**252.06**	**100.00**

उपयुर्क्त तालिका में सेक्टर-वार धन नियोजन की जरूरत के ब्यौरे हैं और जल आपूर्ति, सीवरेज़ तथा बरसाती पानी की निकासी आदि पर मुख्य ध्यान दर्शाया गया है। किन्तु जल आपूर्ति बढ़ाने, सीवरेज़ और बरसाती पानी की निकासी हेतु विस्तृत नगर निवेश योजना, धटक-वार ब्यौरों के साथ नहीं दी गई है। इस खंड में इन सेक्टर-वार नियतनों के निर्धारण के बारे में पर्याप्त औचित्य और पृष्ठभूमि का उल्लेख नहीं है यानी यह नहीं बताया गया है कि वित्तीय जरूरतों के आकलन आदि में क्या मान्यताएं अपनायी गई हैं।

योजना में गैर-राजस्व पानी (यानी मुफ्त पानी) में कटौती करने तथा लागत और वसूली के बीच अंतर को पाटने के लिये कोई कार्यक्रम भी नहीं दिया गया है। नगर निगम के संसाधन बढ़ाने की नीतियों तथा सुधार एजेंडा के निगम स्तर पर प्रभाव को भी नहीं दर्शाया गया है।

4.नगर निवेश योजना :

विभिन्न सेवा-सेक्टरों बाबत निवेश योजना की व्याख्या हेतु सी डी पी में केवल एक नक्शा है। पृष्ठ 80 पर जलआपूर्ति, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी, सड़कों व अन्य आधार संरचनाओं और कचरा निपटान हेतु निवेश योजना दी गई है। भौतिक एवं वित्तीय प्रतिमानों तथा पद्धति के साथ वित्तीय जानकारी भी सी डी पी में दी जानी चाहिये थी।

चंडीगढ़ नगर निगम के आय-व्यय पर आधारित वित्तीय परिचालन योजना भी सी डी पी में दी जानी चाहिये थी। इसके बिना किसी निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है। अत: सी डी पी में पूर्ण वित्तीय परिचालन योजना अवश्य दी जाए।

5.प्रत्याशित सुधार

1. वर्त्तमान स्थिति, जिसमें जनांकिकी, आर्थिक वित्तीय ढांचे, भौतिक पर्यावरण व संस्थाई पहलुओं सहित वर्त्तमान स्थिति का गहन विश्लेषण।
2. नगर स्तर पर सेवाओं की व्यवस्था की भौतिक व वित्तीय अक्षमताओं का स्पष्टीकरण।
3. शहर का भावी परिदृश्य व विज़न विकसित किया जाए जिसके साथ हितबद्ध पक्षों व नागरिक समुदाय से विचार-विमर्श भी दिये जाएं।
4. नगर में बुनियादी सेवाओं की व्यवस्था में जुटी एजेंसियों के कार्य क्षेत्र का उल्लेख, जिसमें विशेषतया विभिन्न एजेंसियों की कार्यप्रणाली की समस्याओं तथा अधिव्यापन कार्यात्मक दायरे आदि का भी उल्लेख हो।
5. शहरी कायाकल्प अभियान अवधि हेतु संगत जनसंख्या प्रायोजन तैयार किये जाएं।
6. राज्य सरकार से अनुदान व अन्य प्राप्तियों पर निर्भरता कम करने के लिये नगर निगम के संसाधन बढ़ाने की कार्यनीतियां।
7. विगत 5 वर्षों का सेक्टर-वार वित्तीय विश्लेषण, जिसमें जल आपूर्ति, सफाई, सीवरेज, नाली-व्यवस्था, कचरा-निपटान, सड़कों, व पथ प्रकाश आदि बाबत वित्तीय तंगी का भी उल्लेख हो।
8. शहर के गरीबों के लिये आवास तथा विभिन्न सेवाओं की उपलब्धता एवं सेवा स्तर आदि का उल्लेख किया जाय। शहरी गरीबों को सेवाओं के स्तर में सुधार में वित्तीय बाधाएं।
9. लक्ष्यों और विज़न को वर्त्तमान स्थिति से जोड़कर परखा जाना।
10. एजेंसी-वार कार्यनीतियों तथा पूंजी निवेश योजना पर विस्तृत जानकारी।
11. पूर्ण वित्तीय परिचालन योजना।
12. परियोजनाओं के प्राथमिकता क्रम का पूर्ण औचित्य के साथ निर्धारण।

चंडीगढ़ की नगर विकास योजना के आरंभिक प्रस्तुतीकरण के आधार पर, उपर्युक्त टिप्पणियां चंडीगढ़ शहर के पदाधिकारियों को सूचित कर दी गई हैं। टिप्पणियों से जाहिर है कि सी डी पी में काफी संशोधन आवश्यक थे। संशोधित नगर विकास योजना (सी डी पी) राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान को 11 अगस्त, 2006 को पुनः भेजी गई तथा सीडीपी के द्वितीय संस्करण का पुनः मूल्यांकन किया गया। संशोधित सी डी पी पर टिप्पणियां और उन पर शहर के जबाब आगे दिये गये हैं :

1 भाषा में सुधार किया जाए। सी डी पी में कई बातों की पुनरावृत्ति की गई है। अघ्यायों और उनकी विषय सामग्री को सही क्रम में व्यवस्थित करने की जरूरत है।

चंडीगढ़ नगर निगम :
भाषा सुधार दी गई है, पुनरावृत्ति हटा दी गई है तथा विषय सामाग्री को पुनःव्यवस्थित कर दिया गया है। इन सभी संशोधनों को संशोधित सी डी पी में शामिल कर दिया गया है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
रिपोर्ट को अपेक्षाओं के अनुसार पुनः पूरी तरह व्यवस्थित कर दिया गया है तथा विषय सामग्री अब अधिक संगत है।

2. भू-उपयोग पैटर्न तथा वर्त्तमान जल आपूर्ति नेटवर्क, सीवरेज़, पानी निकासी, सड़क-नेटवर्क आदि का उल्लेख करते हुए नक्शे दिये जाएं।

चंडीगढ़ नगर निगम :
वर्त्तमान जल आपूर्ति सीवरेज़, बरसाती पानी निकासी तथा सड़क नेटवर्क के विन्यास नक्शे संशोधित सी डी पी से संलग्न कर दिये गये हैं।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
इन सभी मुद्दों का संशोधित सी डी पी में भलीभांति निर्वहन किया गया है।

3. चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न छोटे कस्बों और गांवों का, उनकी आबादी ब्यौरों के साथ, उल्लेख किया जाए।

चंडीगढ़ नगर निगम :
सभी प्रकार की वांछित जानकारी संशोधित सी डी पी में शामिल कर दी गई है। इस संघ राज्य क्षेत्र के आस पास से गांवों की आबादी चंडीगढ़ की कुल आबादी का केवल 10% है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
इन सभी मुद्दों को अब संशोधित सी डी पी में सही तरह दर्शाया गया है।

4. जनसंख्या प्रायोजन के लिये सी डी पी द्वारा अपनायी गई पद्धति का उल्लेख किया जाए।

चंडीगढ़ नगर निगम :
जनसंख्या का प्रायोजन, जल आपूर्ति मैनुअल के दिशा निर्देशों के अनुसार, विगत दशक की प्रतिशत वृद्धि के आधार पर किया गया है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
जनसंख्या प्रायोजन के लिये सीधी रेखा पद्धति अपनायी गई है।

5. एक साथ अनेक एजेंसियों के कार्यकरण का तथा अधिव्यापन कार्यदायरों आदि के कारण उत्पन्न वास्तविक समस्याओं का सी डी पी में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इन विभिन्न एजेंसियों में संगठनात्मक ढांचे तथा समकक्ष विभागों के कार्यकरण का भी सी डी पी में उल्लेख नहीं किया गया है। पृष्ठ 42 और 47 की तालिकाओं को विस्तृत करके 12वीं अनुसूची में विहित 18 कार्यों के बारे में भी जानकारी दी जाए।

चंडीगढ़ नगर निगम :
सी डी पी में संघ राज्य क्षेत्र की विभिन्न एजेंसियों यथा-नगर निगम, यू. टी. इंजीनियरी विभाग, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड आदि के कार्यक्षेत्र का निर्धारण तथा 12वीं अनुसूची में उल्लिखित तथा नगर निगम को अंतरित कार्यों में उल्लिखित तथा नगर निगम को अंतरित कार्यों का विवेचन किया गया है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
12वीं अनुसूची के 18 कार्यों की स्थिति को भलीभांति दर्शाया गया है तथा विभिन्न एजेंसियों का कार्यकरण पर्याप्त विस्तार के साथ दर्शाया गया है।

6. सी डी पी में जल सेक्टर पर अधिक ध्यान दिया गया है, अर्थात् 134 से 196 तक के पृष्ठों में केवल जल सेक्टर का उल्लेख है, तथा अन्य महत्वपूर्ण सेक्टरों का मात्र 198 पृष्ठ से 219 पृष्ठों में उल्लेख करके उन पर कम ध्यान दिया गया है।

चंडीगढ़ नगर निगम :
सी डी पी में लगभग सभी सेक्टरों अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज़, बरसाती पानी का निकासी, सड़कों व उठे हुए राजमार्गों, परिवहन आदि को शामिल किया गया है। वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक की वित्तीय स्थिति संशोधित सी डी पी में दी गई है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
पुनरावर्त्तन हटा दिये गये हैं तथा अन्य सेक्टरों के ब्यौरे भी शामिल कर दिये गये हैं।

7. “ म्यूनिसपल इन्फ्रास्ट्रक्चर बाबत ” अध्याय-4 में म्यूनिसपल वित्त के मुद्दे भी शामिल हैं। नगर-वित्त और म्यूनिसिपल वित्त से जुड़े मुद्दों को अलग-अलग दिखाया जाना चाहिये था। इसके अलावा, म्यूनिसपल वित्त आदि पर केवल कुछ तालिकाएं दे देने से नगर वित्त से जुड़ी बाधाओं को समझने का प्रयोजन हल नहीं होगा।

चंडीगढ़ नगर निगम :
संशोधित सी डी पी में आवश्यक संशोधन शामिल कर दिये गये हैं। वित्तीय मुद्दों को अलग दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
इस मुद्दे पर विस्तृत विश्लेषण संशोधित सी डी पी में शामिल कर दिया गया है।

8. चडीगढ़ नगर निगम के लिये और चंडीगढ़ प्रशासन के लिये आय-व्यय विवरण नहीं दिया गया है। पृष्ठ 72 की तालिका समझ से परे है और उससे भ्रम उत्पन्न हुआ है।

चंडीगढ़ नगर निगम :
चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ नगर निगम का आय-व्यय विवरण संशोधित सी डी पी में ठीक से दर्शाया गया है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
इस मुद्दे पर विस्तृत विश्लेषण संशोधित सी डी पी में दे दिया गया है।

9. योजना-व्यय और गैर-योजना-व्यय के बारे में स्पष्टीकरण और ब्यौरे दिये जाने चाहिये थे।
10. पृष्ठ 72ए से 108 की तालिकाओं में वित्तीय विश्लेषण, स्पष्टीकरण और निर्वचन साफ-साफ दिये जाने चाहिये।
11. सी डी पी में चंडीगढ़ नगर निगम का कराधार और गैर-कराधार दिया जाए। कर-स्रोतों और गैर-कर स्रोतों का दर-ढांचा भी सी डी पी में दिया जाए। प्रत्येक कर और प्रभार की मांग और वसूली के अनुपात भी दिये जाएं।

चंडीगढ़ नगर निगम :
योजनागत व्यय में पूंजी-व्यय तथा गैर-योजना व्यय में राजस्व व्यय दरसाया गया है। संबंधित तालिकाओं में दिये गये वित्तीय ब्यौरे संशोधित कर दिये गये हैं तथा उन्हें संशोधित सी डी पी में शामिल कर दिया गया है। संशोधित सी डी पी में नगर निगम की कर योग्य और गैर-कर योग्य आय शामिल कर दी गयी है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
इस मुद्दे बाबत विस्तृत विश्लेषण संशोधित सी डी पी में दे दिये गये हैं तथा ‘ चंडीगढ़ के वित्त स्रोत’ पर एक नया अध्याय भी शामिल कर दिया गया है।

12. नगर निगम के आय-व्यय पर आधारित वित्तीय परिचालन योजना नहीं दी गई है और इस पूर्ण योजना के बिना उसके भावी वित्तीय फलितार्थों को समझना कठिन है। सी डी पी में पूर्ण वित्तीय परिचालन योजना दी जाए, जिसमें समुचित मान्यताओं के साथ आधार-केस परिदृश्य तथा निवेश परिदृश्य भी दर्शाया जाए।

चंडीगढ़ नगर निगम :
नगर निगम के आय-व्यय के आधार पर वित्तीय परिचालन योजनाओं के ब्यौरे संलग्न कर दिये गये हैं और यह स्पष्ट किया जाता है कि चंडीगढ़ नगर निगम चंडीगढ़ प्रशासन से अनुदान प्राप्त करता था क्योंकि नगर निगम के अंतरित कार्य पहले चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा किये जाते थे। संशोधित सी डी पी में आवश्यक स्पष्टीकरण दे दिया गया है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
इस मुद्दे पर विस्तृत विश्लेषण संशोधित सी डी पी में दे दिया गया है तथा "वित्तीय परिचालन योजना" पर एक नया अध्याय भी दिया गया है।

13. 'नगर के स्लम क्षेत्रों में सेवाओं के दायरे और स्तर' बाबत खंड में विस्तृत ब्यौरे और अनुमान नहीं दिये गये हैं। स्लमवासियों की समस्याओं के समाधान के लिये वित्तीय योजना भी सी डी पी में नहीं है।

चंडीगढ़ नगर निगम :
सी डी पी में विस्तार से बताया जा चुका है कि चंडीगढ़ में स्लमों के लिये भी सार्वजनिक नलों की मार्फत पानी आपूर्ति की तथा सुलभ-शौचालयों की सुविधाएं दी गई हैं। 500 कमोडदार शौचालयों के निर्माण के लिए लगभग 60 लाख रू0 की राशि का अनुमोदन किया गया है ताकि शहर में खुले में शौच करने पर पाबंदी लगायी जा सके और चंडीगढ़ खुले में शौच की समस्या से मुक्त हो सके।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :

सेवाओं के दायरा-ब्यौरे शामिल कर दिये गये हैं।

14. 'परिवहन नीति तथा उठे हुए राजमार्ग ' खंडों का सी डी पी के पूर्व खंडों के साथ कोई तालमेल नहीं है तथा इन खंडों की कोई तुक समझ में नहीं आती।

चंडीगढ़ नगर निगम :
परिवहन और उठे हुए राजमार्ग के बारे में वित्तीय आवश्यकता यातायात सर्वे के आधार पर प्रायोजित की गई है क्योंकि इस सर्वे से यह प्रमाणित हुआ है कि शहर की सड़कों पर, खासकर सेक्टर 26 के यातायात चौक पर, जो राष्ट्रीय राजमार्ग 21 से जुड़ा है, काफी ट्रैफिक जाम होता है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान :
स्पष्टीकरण सही पाये गये हैं और उन्हे संशोधित सी डी पी के पृष्ठ 121 की तालिका में शामिल कर दिया गया है।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान : नगर विकास योजना (सी डी पी) अब राष्ट्रीय शहरी कायाकल्प अभियान के टूल किट-2 के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।